न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2020
दायर दिनांक : 17.08.2020
निर्णय दिनांक : 20.11.2025

उनवान

हीरालाल पिता नन्दा फौत के बजाय
1. रामेश्वर लाल पिता हीरालाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
2. लेहरीपिता हीरालाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
3. पुष्पा पिता हीरालाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
4. हंगामीबाई पत्नी हीरालाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
5. छगनीबाई पत्नी हीरालाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 प्रेमबाई पत्नी गेहरीलाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
2 भगवानीबाई पिता चतरभुज जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
3 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

मौजा जावा की आ0न0 483 रकबा 1.05 है0 स्थित है जिस पर जाने के लिए 484 में से होकर अपने खेत पर जाता है किंतु रेवेन्यु रेकार्ड में आ0न0 484 अप्रार्थी के नाम पर दर्ज है रास्ता 472 व 479 के बीच में दर्ज है जो 484 की सीमा पर समाप्त होता है आगे रेवेन्यु रेकार्ड में रास्ता नही है जो 12 फीट चौडा रास्ता 484 में दिलाया जावे जिससे मै अपनी आराजी 484 पर जा सकू सुगम रास्ता यही है। दिनांक 10.07.2020 को अप्रार्थी को रास्ते की जमीन की रजिस्टी कराने के लिए कहा तो इंकार हो गए जिससे प्रार्थनापत्र कारण 10.07.2020 से एवं तत्पश्चात निरंतर पैदा हो रहा है। यह कि मालियत 5000 रूपये कायम करता हूं जो आवश्यक कोर्ट फीस पर मय सम्मन एवं प्रोसेस के इस न्यायालय श्रवणाधिकार का होने से अंदर अवधि प्रस्तुत है। प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थी की आ0न0 484 में रास्ते की जमीन की रजिस्टी कराने को तैयार है और आवश्यक शुल्क भी जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि मौजा जावा की आ0न0 483 पर जाने के लिए 484 में रास्ता गाडी गडार का दिलाया जावें, जमीन की कीमत अनुसार राशि जमा कराने को तैयार हैं।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री किशन जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार भूपालसागर द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।
3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

   (1) क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपो[illegible] ग्राम जावा के आ.सं. 483 में आने जाने बाबत आ.सं. 484 में होकर निकटतम मार्ग है। [illegible] अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

(2) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।
तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम जावा के आ.सं. 483 में आने जाने बाबत आ.सं. 484 में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।
(3) यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।
रिपोर्ट तहसीलदार, मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस संलग्न है।
(4) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।
–रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दि. 22.05.2024 संलग्न है।
(5) सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)
तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ.सं. 484 में से 10 मीटर चौडा लम्बाई 100 मीटर कुल 0.10 है. रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 13,66,856 रूपये प्रति है0 से रकबा 0.10 है. की मालियत 1,36,685 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 2,73,370 रूपये होती है।

कमिश्नर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि जावा पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 483 है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 484 में से रास्ता चाहा हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावा पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नं. 483 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 484 में से 10 मीटर चौडा लम्बाई 100 मीटर 1000 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 13,66,856 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 1000 वर्गमीटर की कुल मालियत 1,36,685 रूपये का दुगुना 2,73,370 रूपये अक्षरे दो लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:50 IST
Reason: SelfAttested